

प्रेषक,

राधे कृष्ण,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झांसी में लक्ष्मीताल परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त तृतीय किशत की स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-जी०-102/022-0501/2018, दिनांक 16.11.2018 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-16011/3/2003-एन०आर०सी०डी०-II, दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद झांसी में लक्ष्मीताल की प्रदूषण नियंत्रण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागत ₹0 54.13.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-127/2015-745/नौ-5-15-342बजट/2014 दिनांक 31.03.2015 द्वारा ₹0 357.14 लाख, शासनादेश संख्या-03/2017-3167/नौ-5-16-342बजट/2014 दिनांक 03.01.2017 द्वारा ₹0 142.86 लाख एवं शासनादेश संख्या-48/2018-2677/नौ-5-16-342बजट/2014 दिनांक 30.01.2018 द्वारा ₹0 2000.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 2500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, का व्यय हो जाने के आलोक में तृतीय किशत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि ₹0 1000.00 लाख एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि ₹0 666.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹0 1666.00 लाख (₹0 सौलह करोड़ छ्वाछठ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षर युक्त विल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक में आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस /डिपॉजिट खाते/पीएनए में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नपत्र योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है।
- (4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को भेजा जाना बांछनीय है।

2- इस शासनादेश में विल विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात विल निरीक्षक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा महायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति

हो, निर्दिष्ट करणों यदि निर्धारित शर्तों का किरी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित विल्ल दियंत्रक इत्यदि का दाखिल्ल होगा कि इसके द्वारा मागले की मूचना पूर्ण विवरण सहित विल्ल विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त संसंध में विल्ल विभाग के कार्यालय जाण संख्या-1/2018/डी-1-375/दम-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन मुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त व्यव धालू विन्तीय वर्ष 2018-19 के आर-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत अःशोजनागत लेखाशीर्षक "4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय-02-मल जल तथा सफाई-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0107-शील संरक्षण कार्यक्रम (राज्वांश) (के. 60/रा. 40) -24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे जाला जायेगा।

5- यह आदेश विल्ल विभाग के आशाओ संख्या-1/2018/डी-1-375/दम 2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग की प्रतिनिधित्व अधिवार्यों के अधीन जारी किले जा रहे हैं।

भवदीय  
(राधे कृष्ण)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 443 /2018-5149 (1)नौ-5-18-342बजट/2014

प्रतिनिधिों निम्नलिखित की मूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकरागी); प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-एसीआ); प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 3- क्रिदाधिकारी, लखनऊ/आंसी।
- 4- कोषाधिकारी, क्लेक्लेट कोषागार, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निवेशालय, उन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, मूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वणिज लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जेसी बी स्थिति हां
- 8- मुख्य अभियंता (आंसी क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, आंसी।
- 9- विल्ल नई 9; अनुभाग/विल्ल (आर-व्ययक) अनुभाग-3/4
- 10- विधोन्नत अनुभाग-3/4
- 11- निजी सचिव, माओ मंत्री, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- सचिव वृज/गार्ड फाइल/कम्प्युटर सेल नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,  
(राधे कृष्ण)  
संयुक्त सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019  
आवंटन दिनांक-24/12/2018

प्रेषण संख्या:- 443  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-443-2018 5149-9-5-18-342B-2014  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर.मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
800 - अन्य व्यय  
01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं  
07 - झील संरक्षण कार्यक्रम (राज्यांश) (के.60/रा 40-के. - रा.)  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	166600000	166600000
		प्रगामी	166600000	166600000
	योग	वर्तमान	166600000	166600000
		प्रगामी	166600000	166600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ छियासठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ छियासठ लाख

  
(राधे कृष्ण)  
संयुक्त सचिव